

A-908

Total Pages : 5

Roll No.

CRTI-102/DRTI-102

Certificate/Diploma in Right to Information (CRTI/DRTI)

(Application of Right to Information)

1st Semester Examination, Session December 2024

Time : 2:00 Hrs.

Max. Marks : 100

Note :- This paper is of Hundred (100) marks divided into Two (02) Sections 'A' and 'B'. Attempt the questions contained in these Sections according to the detailed instructions given therein. *Candidates should limit their answers to the questions on the given answer sheet. No additional (B) answer sheet will be issued.*

नोट :- यह प्रश्न-पत्र सौ (100) अंकों का है, जो दो (02) खण्डों 'क' तथा 'ख' में विभाजित है। प्रत्येक खण्ड में दिए गए विस्तृत निर्देशों के अनुसार ही प्रश्नों को हल करना है। *परीक्षार्थी अपने प्रश्नों के उत्तर दी गई उत्तर-पुस्तिका तक ही सीमित रखें। कोई अतिरिक्त (बी) उत्तर-पुस्तिका जारी नहीं की जायेगी।*

Section-A

(खण्ड-क)

Long Answer Type Questions

(दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

2×26=52

Note :- Section 'A' contains Five (05) Long-answer type questions of Twenty Six (26) marks each. Learners are required to answer any *two* (02) questions only.

नोट :- खण्ड 'क' में पाँच (05) दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए छब्बीस (26) अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों को इनमें से केवल दो (02) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

1. Illustrate with examples how the Public Interest Test is applied in real-word scenarios ?

कुछ उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए कि सार्वजनिक हित परीक्षण को वास्तविक दुनिया के परिदृश्य में कैसे लागू किया जाता है ?

2. Discuss the role of the government in fostering a culture of transparency.

पारदर्शिता की संस्कृति को बढ़ावा देने में सरकार की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

3. Elaborate on the exemptions outlined in the RTI Act concerning personal privacy and third party information.

व्यक्तिगत गोपनीयता और तीसरे पक्ष की जानकारी से संबंधित सूचना का अधिकार अधिनियम में उल्लेखित छूटों को विस्तार से बताइए।

4. Explain the powers of the Information Commission to impose penalties under section 20 of RTI Act, 2005.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20 के तहत जुर्माना लगाने की सूचना आयोग की शक्तियों की व्याख्या कीजिए।

5. Explain the main objectives and provisions of the Right to Information Act, 2005.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के मुख्य उद्देश्यों और प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए।

Section-B

(खण्ड-ख)

Short Answer Type Questions

(लघु उत्तरीय प्रश्न)

4×12=48

Note :- Section 'B' contains Eight (08) Short-answer type questions of Twelve (12) marks each. Learners are required to answer any *four* (04) questions only.

नोट :- खण्ड 'ख' में आठ (08) लघु उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए बारह (12) अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों को इनमें से केवल चार (04) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

1. Discuss the limit of time period for different categories of information asked.

सूचनाओं की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मांगी गई सूचना के लिए समयावधि की सीमा की चर्चा कीजिए।

2. How is the Public Information Officer appointed ? Explain.

लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति कैसे की जाती है ? समझाइए।

3. What are the functions of an Assistant Public Information Officer ?

सहायक लोक सूचना अधिकारी के कार्य क्या हैं ?

4. Summarize the key provisions of the RTI Rules, 2013.

सूचना का अधिकार नियम, 2013 के प्रमुख प्रावधानों का सारांश प्रस्तुत कीजिए।

5. Evaluate the effectiveness of fines and penalties as deterrents for non-compliance with the RTI Act, 2005.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अनुपालन न करने पर निवारक के रूप में जुर्माने और दंड की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए।

6. Explain the provisions in place for promoting and creating awareness about the right to information.

सूचना के अधिकार को बढ़ावा देने और इसके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मौजूद प्रावधानों की व्याख्या कीजिए।

7. Outline the mechanisms for monitoring the implementation of the RTI Act.

सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए तंत्र की रूपरेखा तैयार कीजिए।

8. Discuss the grounds on which an appeal can be filed and the authority responsible for handling appeals.

उन आधारों की चर्चा कीजिए जिन पर अपील दायर की जा सकती है और अपील से निपटने के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण का वर्णन कीजिए।
